GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 296

No. 296]

DELHI, SATURDAY, DECEMBER 31, 2016/PAUSA 10, 1938

[N.C.T.D. No. 296

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

महिला एवं बाल विकास विभाग

(बाल संरक्षण इकाई)

अधिसूचना

दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2016

फा. सं. 61(835) / डीडी(सीपीयू) / डीडब्ल्यूसीडी / वाल्यूम—V / 2015—16 / 31456—84.—दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 (2006 का 4) की धारा 18 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, श्री अरूण माथुर निवासी 14 / 7, दिल्ली प्रशासन अधिकारी फ्लैट, तिलक मार्ग, नई दिल्ली—110001 को दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पांचवी मंजिल, आईएसबीटी भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली के अध्यक्ष के रूप मे नियुक्ति का कार्यकाल का विस्तार 12 फरवरी, 2017 तक करते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, पीसीजैन विशेष सचिव

DEPARTMENT OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(CHILD PROTECTION UNIT)

NOTIFICATION

Delhi, the 29th December, 2016

F. No. 61(835)/DD(CPU)/DWCD/Vol.-V/2015-16/31456-84.—In exercise of the powers conferred under Section 18 of the Delhi Commission for Protection of Child Rights, Act, 2005 (4 of 2006), the Lt. Governor of Govt, of NCT of Delhi extends the tenure of appointment of Shri Arun Mathur, R/o 14/7, Delhi Administration Officers Flats, Tilak Marg, New Delhi-110001 as Chairperson of Delhi Commission for Protection of Child Rights, 5th Floor, ISBT Building, Kashmere Gate, Delhi till 12th February, 2017.

By Order and in the Name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, P. C. JAIN, Special Secy.

6061 DG/2016